विजय को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा विपक्ष

सदन में जबरदस्त हंगामा, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 अगस्त. विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष मंत्री शाह को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा रहा.

इस दौरान उन्होंने आसंदी के सामने जाकर जमकर नारेबाजी की. पहले अध्यक्ष ने दोपहर एक बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी. बाद में जब फिर कार्यवाही समवेत हुई तो भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. हंगामें के बीच ही दो ध्यानाकर्षण के जवाब भी हुए, लेकिन सदन में शोर-शराबे की स्थिति बनी रही. वहीं सत्ता पक्ष ने भी तीखे तेवर दिखाये और विपक्ष को चीन और पाकिस्तान का एजेंट तक करार दे दिया और कहा कि उन्हें इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है. दोनों ही दलों के बीच इस मामले में गतिरोध बना रहा, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी.

सदन की कार्यवाही सबेरे 11 बजे जब समवेत हुई तो स्थिति सामान्य बनी हुई थी. प्रश्नकाल के दौरान 5 सवालों के जवाब भी आये. 6वां सवाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का था, उन्होंने गैस पीड़ित निगरानी समिति की अनुशंसाओं के पालन को लेकर सवाल किया था, विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह भी सवाल का जवाब देने के लिये सदन में मौजूद थे, जैसे ही शाह सीट से जवाब देने के लिये खड़े हुए, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया सीट से खड़े हो गये और आपत्ति जताते हुए कहा कि आर्मी का अपमान करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. उनका साथ विपक्ष के दूसरे सदस्यों ने भी दिया और एक साथ सीटों से खड़े होकर बोलने लगे, जिससे सदन में शोर-गुल की स्थिति बन गई. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सेना का अपमान किया था, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया था. इस बीच विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसंदी के सामने जा पहुंचें और नारेबाजी करने लगे. इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि ये सेना के बारे में किस मुंह से बोलेंगे, सत्ता पक्ष के ही शैलेन्द्र जैन ने कहा कि ये सेना का अपमान करने वाले लोग, सेना की वीरता और शौर्य पर सवाल उठाने वाले लोग हैं. वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उन्होंने सेना का अपमान किया है.

> मंत्री जिसके मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया, क्या उसको देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की बात करने वाली सरकार मंत्री पद पर सुशोभित रखेगी? इस बीच भाजपा के प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि अभी परसो लोकसभा में आतंकवाद के विरोध में एक बिल पारित हुआ है, कांग्रेस ने आतंक के समर्थन में वाकआउट किया और ये सेना की बात करते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की. इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जो पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जो चीन की भाषा बोलती है, जो ट्रंप के टैरिफ का समर्थन करती है.

आज 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 अगस्त शनिवार को सीहोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में लगभग 1406 करोड़ रूपये निवेश करने वाली 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 6 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित करेंगे. जिससे यहां लगभग 33 करोड़ 85 लाख रूपये का निवेश होगा. इन औद्योगिक इकाइयों से सीहोर जिले में 1165 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे. इन इकाइयों में सीहोर जिले में लगभग 1406 करोड़ रूपये का निवेश होगा और 854 रोजगार के अवसर सृजित होंगे. जिन औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन होगा उनमें वान्यावेदा ग्रीन्स जो झिलेला सीहोर में 20.020 हेक्टेयर में स्थापित होगी. इसमें 115 करोड़ रुपये के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी, जिससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसी प्रकार बारमॉल्ट माल्टिंग इंडिया प्रालि बड़ियाखेड़ी फेस-2, 10.250 हेक्टेयर में स्थापित होगी.

वाहनों पर नहीं लगा सकेंगे हूटर-सायरन

इंदौर, 01 अगस्त. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति चाहे वह विधायक हो, महापौर हो या पुलिस अधिकारी अपने निजी वाहनों पर हूटर, सायरन या फ्लैशलाइट नहीं लगा सकेगा. कोर्ट ने सात दिन के भीतर इन अवैध उपकरणों को हटाने के निर्देश दिए हैं.

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और अदिति मनीष यादव ने कोर्ट में ऐसे कई सबूत पेश किए, जिनमें पुलिस अधिकारियों को अपने निजी वाहनों पर अवैध हूटर और फ्लैशलाइट लगाते हुए दिखाया गया था. मार्च 2025 में राज्य सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें सभी जिलों के एसपी और आरटीओ अधिकारियों को नियमों के विरुद्ध लगे हूटर, सायरन और फ्लैशलाइट्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके, न तो पुलिस ने और न ही परिवहन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई की.

कोर्ट ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई. खंडपीठ ने कहा कि किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता. यदि कोई व्यक्ति विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए निजी वाहनों पर प्रतिबंधित उपकरण लगाता है, तो यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है. अदालत ने संबंधित अधिकारियों प्रमुख सचिव (गृह), डीजीपी, इंदौर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

इंदौर. मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मगरखेड़ा जनपद पंचायत के सचिव ओम गुप्ता को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.

आरोपी सचिव ने फरियादी रोशन वर्मा से मकान का नक्शा पास कराने के बदले 20,000 रुपये की मांग की थी. शिकायत मिलने पर ईओडब्लू ने डीएसपी कन्हैयालाल दांगी के निर्देशन में टीम गठित की और जाल बिछाया. जैसे ही सचिव ने पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये लिए, टीम ने उसे धर दबोचा. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

सिंगरौली में मिला दुर्लभ खजाना

भोपाल/सिंगरौली, 01 अगस्त. मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की धरती के नीचे वह खजाना छिपा था, जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी. अब यह रहस्य परत-दर-परत खुल चुका है.

देश के कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संसद में ऐलान किया कि सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ मृदा तत्वों) के अकूत भंडार मिले हैं. यह खोज भारत के औद्योगिक क्षेत्र और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ी छलांग मानी जा रही है. मंत्री रेड्डी के मुताबिक, यह पहला मौका है जब देश में इतने बड़े स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं. ये तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर एनर्जी, मोबाइल चिप्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं.

> वर्तमान में भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है. लेकिन अब सिंगरौली की यह खोज न केवल आयात पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि भारत को इस क्षेत्र में निर्यातक भी बना सकती है. मंत्री रेड्डी ने भरोसा जताया कि यह खोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक ठोस आधार देगी.

बिना हेलमेट न पेट्रोल मिलेगा, न दफ्तरों में एंट्री

भोपाल/इंदौर,01 अगस्त. प्रदेश की राजधानी भोपाल और सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर में 1 अगस्त से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लागू हो गया है. दोनों शहरों में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी और निजी कार्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा.

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत जारी किया गया है. भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भी 1 अगस्त से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल और सीएनजी देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. यह प्रतिबंध राजधानी के सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर प्रभावी रहेगा. आदेश में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती जनहानि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि पहना गया हेलमेट आईएसआई मार्क वाला हो.

> इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आदेशित नई व्यवस्था के तहत 01 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट किसी को पेट्रोल न दिया जाए. आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी. नगर निगम और आरटीओ कार्यालयों में भी नो हेलमेट - नो एंट्री की व्यवस्था लागू कर दी गई है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट किया है कि जब आम जनता से नियमों के पालन की अपेक्षा है तो सबसे पहले खुद सरकारी अमले को अनुशासित होना पड़ेगा. इंदौर आरटीओ में 31 जुलाई से ही यह व्यवस्था शुरू कर दी गई थी.

जावरा के डिप्टी कमांडेंट ने दवा खाकर की खुदकुशी की कोशिश

रतलाम/जावरा. 24वीं बटालियन जावरा के डिप्टी कमांडेंट ने डिप्रेशन में आकर जान देने के लिए गोलियां खाई. उन्हें अस्पताल व रतलाम मेडिकल कॉलेज के तत्पश्चात बाम्बे हास्पिटल इंदौर रेफर किया गया.

24वीं बटालियन जावरा में पदस्थ डिप्टी कमांडेंट रामबाबू पाठक ने शुक्रवार सुबह डिप्रेशन में आकर खुदकुशी करने के लिए गोलियां खाई. सेहत बिगड़ने के पर तत्काल जावरा के निजी क्लीनिक पर ले जाया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रतलाम भेजा गया. मेडिकल कॉलेज में डिप्टी कमांडेंट पाठक के हाल-चाल जानने के लिए पुलिस अधीक्षक

अमित कुमार, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी गायत्री सोनी सहित अन्य पुलिस कर्मचारी पहुंचे. उनकी पत्नी एवं बेटी का कहना है कि सीनियर अधिकारियों की प्रताड़ना के चलते यह कदम उठाया है. हालांकि किसी अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14